भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 57
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024 / 4 अग्रहायण, 1946 (शक)

ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत पहलें एवं उपलब्धियां

57. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-श्रम पोर्टल के अंतर्गत की गई पहलों और प्राप्त उपलब्धों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात के दाहोद में अब तक किए पंजीकरण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों के लिए आधार द्वारा सत्यापित और इससे जुड़े एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए, दिनांक 26 अगस्त 2021 को राष्ट्रव्यापी ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) की शुरुआत की। ई-श्रम पोर्टल असंगठित कामगारों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) प्रदान कर उन्हे पंजीकृत करने और उनकी सहायता करने के लिए है। दिनांक 19 नवंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, 30.40 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और दाहोद, गुजरात में 5.79 लाख असंगठित कामगारों ने पंजीकरण कराया है।

ई-श्रम पोर्टल के तहत पहल और उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:

i. पोर्टल में पंजीकरण आधार द्वारा सत्यापित और आधार से जुड़ा है। कोई भी असंगठित कामगार स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है।

जारी...2/

ii. प्रवासी कामगारों के परिवार संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई-श्रम में प्रावधान किया गया है।

iii. संबंधित भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) बोर्ड द्वारा पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सन्निर्माण कामगारों के डेटा को साझा करने हेतु ई-श्रम में प्रावधान जोड़ा गया है।

iv. ई-श्रम पोर्टल को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। कोई असंगठित कामगार अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) का उपयोग कर एनसीएस पर पंजीकरण कर सकता है और उपयुक्त नौकरी के अवसरों की खोज कर सकता है। एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने हेतु ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरणकर्ता को विकल्प/लिंक भी प्रदान किया गया है।

v. ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है। पीएम-एसवाईएम वैसे असंगठित कामगारों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी आयु 18-40 वर्ष के बीच है। यूएएन (ई-श्रम) नंबर का उपयोग करके, कोई भी असंगठित कामगार मानधन पोर्टल पर आसानी से पंजीकरण कर सकता है।

vi. असंगठित कामगारों को कौशल वृद्धि और प्रशिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कौशल भारत डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

vii. ई-श्रम को माइ-स्कीम पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है। माइ-स्कीम एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर खोज और पता लगाना है। यह नागरिक की पात्रता के आधार पर योजना की जानकारी खोजने के लिए एक प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को सही सरकारी योजनाएं खोजने में मदद करता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में भी मार्गदर्शन करता है। इस एकीकरण के माध्यम से, सभी ई-श्रम पंजीकरणकर्ता उन योजनाओं की जांच कर सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं।

viii. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” शुभारंभ किया। ई-श्रम- “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एकल पोर्टल यानी ई-श्रम पर एकीकृत करना शामिल है। इससे ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्राप्त बनाने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में मदद मिलती है।

*****